संख्या-1355/15-11-98-1499(73)/97

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 1998

विषयः- केन्द्र परोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण में स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सृजित पदों को संबंधित शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत शामिल किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शिक्षा विभाग की संगत सेवा नियमावलियों के अधीन विद्यमान नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-255/15(13)/88-1499(46)/87 टी0सी0, दिनांक 16-3-89 तथा शासनादेश संख्या-1736/15(13)/90-1499(55)/90 दिनांक 18-9-90 द्वारा कुल 40 जनपदों लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत, झांसी, हमीरपुर, फैजाबाद, बहराइच, मुरादाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, नैनीताल, पिथौरागढ़, फतेहपुर, कानपुर(नगर), फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर, ललितपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, हरदोई, बाराबंकी, जौनपुर, गाजियाबाद, बदायूँ, देहरादून, रायबरेली, मैनपुरी, बांदा तथा हरिद्वार में स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सृजित निम्न पदों को, जिनका वेतनमान उनके सम्मुख अंकित है, को शिक्षा विभाग के संबंधित संवर्ग में अभिवृद्धि कर अस्थाई रूप से जोड़ने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदो की संख्या
1	2	3	4
1-	वरिष्ठ प्रवक्ता	रू0 2200-75-2800-द0रो0100-4000	240
2-	प्रवक्ता	रू0 1600-50-2300-द0रो0-60-2660	680
3-	सांख्यकीकार	रू0 1400-40--1600-द0रो0-50-2300	40
4-	कार्यानुभव शिक्षक	---तदैव---	40
5-	तकनीकी सहायक	---तदैव---	40
6-	कार्यालय अधीक्षक	रू0 1400-40-1600-50-2300-द0रो060-2600	40
7-	पुस्तकालयाध्यक्ष	-----तदैव---	40

....2/-

8-	लेखाकार	रू01400-40-1800-द0रो0-50-2300	40
9-	आशुलिपिक	रू01200-30-1560-द0रो0-40-2040	40
10-	लिपिक	रू0950-20-1150-द0रो0-25-1500	360
11-	प्रयोगशाला सहायक	रू0------तदैव------	80
12-	चतुर्थश्रेणीकर्मचारी	रू0750-12-870-द0रो0-14-940	200

2- उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रक्रिया तथा पदधारकोंकी सेवा शर्ते आदि शिक्षा विभाग में विद्यमान संगत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधान के अनुसार निश्चित होगी।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-2935/दस-11-1997, दिनांक:23 सितम्बर, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/
﴾राकेश कुमार﴿
अनु सचिव

संख्या-1355﴾1﴿/15﴾11﴿/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2. शिक्षा निदेशक﴾बेसिक﴿उ0प्र0,लखनऊ/इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक﴾मा0﴿,उ0प्र0,लखनऊ/इलाहाबाद।
4. निदेशक,प्रौढ़ शिक्षा,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश ।
6. प्राचार्य,संबंधित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
7. शिक्षा अनुभाग-1,2,13

आज्ञा से

﴾राकेश कुमार﴿
अनु सचिव।

कार्यालय निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।

पृ0सं0रा0शै0/10543-643 /98-99 दिनांक:28 सितम्बर,1998

शासन की प्रति निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्राचार्य,जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0﴾62 जनपद﴿।
2. विभागाध्यक्ष परिषद की समस्त इकाइयां।
3. प्राचार्य,परिषद के अधीन समस्त प्रशिक्षण महाविद्यालय ।
4. प्रधानाध्यापक,राजकीय दीक्षा विद्यालय,ज्ञानपुर-सन्तरविदास नगर,पडरौना-कुशीनगर।

सी0डी0सिंह
श्रीमती﴾सी0डी0सिंह﴿
प्रशासनिक अधिकारी
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।